कमला / जगदीश प्रसाद - 164/2022

दिनांक	आज्ञा पत्र	
10.6.24	पत्रावली पेश। वकील अपीलार्थी उप.। शो.वे.सं. के नोटिस बाद तामील-पाया। दे.सं. 19 के संबंध में नोटिस मियादी 30 दिवस के अन्दर का समय हो चुका है - पार्टियों के तामील मानी जाती है तहत का रिकार्ड तलब हो। पत्रावली बाद तलबी दिनांक 11.7.24 को पेश हो।	पत्रावली सलाम 10.7.24
11.7.24	पत्रावली पेश। वकील अपीलार्थी उप.। तहत का रिकार्ड प्राप्त। पत्रावली बाद एक कॉपी दिनांक 29.8.24 को पेश हो।	
29.8.24	पत्रावली पेश। प्रकरण में अपीलाट/~~रेस्पोडेंट~~ के अधिवक्ता ने बहस हेतु समय चाहा, जो दिया गया पत्रावली वास्ते बहस दिनांक 25/9/24 को पेश हो।	
25/9/24	पत्रावली पेश। वकील अपीलाट न उपस्थित होकर जाहिर किया कि वो अपील चलाना नहीं चाहते हैं अतः अपील नोट प्रेस में खारिज की जाये। हमने वकील अपीलाट से आदेशिका पर हस्ताक्षर करवाये कि वे अपील नोट प्रेस में खारिज करने में सहमत है। फलस्वरूप अपील अपीलांट नोट प्रेस में खारिज की जाती है निर्णय सरे इजलास सुनाया गया। प्रकरण फसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर बाद तरतीब तकमील दाखिल दफ्तर हो।	NOT Press by

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झनूं)

न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी सीकर